राजस्व अपील संख्या : 59/2024
उनवान : खेतुदेवी बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/413

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
खेतुदेवी पत्नी वजाराम जाति मेघवंशी (मेघवाल) निवासी मोरडू तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 05.12.2022 जिसे प्रकरण संख्या 880/2022 में न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 26.09.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **आदेश दिनांक 05.12.2022 जिसे प्रकरण संख्या 880/2022 में न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।** रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 91 के तहत एक प्रकरण इस आशय का दर्ज किया गया कि ग्राम पुराड़ा के खसरा नम्बर 630 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के पुत्र द्वारा उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा, जिस पर न्यायालय द्वारा खाली आदेशिका पर पुत्र भैराराम के हस्ताक्षर करवा दिये और आईन्दा जवाब पेश करने हेतु कहा गया, लेकिन कोई तारीख पेशी नही दी गई तत्पश्चात पेशी दिनांक 05.12.2022 को अपीलाण्ट की अनुपस्थिति बताते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। जिससे अपीलाण्ट को सख्त प्रिज्यूडिश हुई है। यह कि अपीलाण्ट को बेदखल करने के साथ साथ धारा 91 (2) में तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने बाबत् आदेश पारित किया है, साथ ही वारंट जारी किया गया है, जबकि धारा 91 के प्रावधानों में सिविल जेल का आदेश पारित किये जाने की स्थिति में अपील हेतु समय प्रदान किया जाना आवश्यक होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर कोई समय नहीं दिया गया तथा सीधे ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। अपीलाण्ट गरीब, वृद्ध अनुसूचित जाति की महिला है, उपरोक्त जमीन के अड़ौस पडौस जरावीदेवी वगैरा उक्त भूमि पर जबरन अपीलाण्ट को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, उनके द्वारा पटवारी एवं अधीनस्थ न्यायालय से मिलावट कर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश अवैध रुप से पारित करवाया, जो प्रथमदृष्टया अपास्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 59/2024

उनवान : खेतुदेवी बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

यह कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार न तो विधिवत जवाब का अवसर प्रदान किया, न ही साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर प्रदान किया, सीधे ही अपीलाण्ट के विरुद्ध बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, केवल मात्र अड़ौसी पड़ौसी जरावीदेवी वगैरा से मिलावट कर उपरोक्त कार्यवाही की गई है, जो अवैध है। यह कि सिविल जेल हेतु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करना आवश्यक है और पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पूर्व में हुए निर्णय व उसकी पालना में वास्तविक भौतिक रुप से की गई बेदखली को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है, उपरोक्त प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही बेदखली बाबत् साक्ष्य ली गई है, फिर भी सिविल जेल जैसी कठोर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि जरावीदेवी वगैरा ने उपरोक्त भूमि को हड़प करने की नियत से सहायक कलेक्टर सुमेरपुर में खातेदारी घोषणा का दावा कर रखा है, उसी के तहत अपीलाण्ट का कब्जा हटाकर जरावीदेवी द्वारा कब्जा कर खातेदारी दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े भू–माफिया शामिल है, क्योंकि उपरोक्त भूमि मुख्य सड़क से चिपती है, इसलिए इन लोगो ने राजकीय अधिकारी कर्मचारियों से मिलावट कर उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही अपीलाण्ट के विरुद्ध करवाई है, जो खारिज योग्य है। यह कि अपीलाण्ट का कब्जा अपने पिता व भाई के समय से लगातार चला आ रहा है प्रमाण में पिछले 7 वर्षों के अपीलार्थी के कब्जे बाबत दिये गये नोटीस की नकले साथ पेश है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कब्जा नया नहीं होकर पुराना पुश्तैनी होना प्रकट और साबित है। भू–माफिया येनकेन प्रकारेण अपीलार्थी का कब्जा हटाने पर आतुर है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश और उस संबंध में कार्यवाही की गई है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.11.2022 में जिस प्रकार अपीलाण्ट के पुत्र के हस्ताक्षर करवाये गये है, जिससे स्पष्ट है कि हस्ताक्षर पहले करवाये गये है और आदेशिका बाद में लिखी गई है। यह कि अपीलाण्ट भूमिहिन, अनुसूचित जाति की गरीब और वृद्ध महिला है, उक्त भूमि ही आजीविका का एकमात्र साधन है, इसके अलावा अपीलार्थी के पास किसी प्रकार की कोई खातेदारी भूमि नहीं है। राज्य सरकार के अनेकानेक परिपत्रो अनुसार उपरोक्त भूमि अपीलार्थी निःशुल्क आवंटन/नियमन करवाने की अधिकारी है,जिस बाबत किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना, कोई फाईड़िंग दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अवैध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है किअपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार सुमेरपुर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 59/2024
उनवान : खेतुदेवी बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जैर अपील आलोच्य बेदखली आदेश दिनांक 05.12.2022 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। साथ ही, सिविल कारावास की सजा उपरान्त अपीलाण्ट को अपील का अवसर प्रदान किए बिना ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो सम्पूर्ण प्रक्रिया ही अवैधानिक होने से अपास्त फरमाई जाए।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण का मज़मून यह है कि हल्का पटवारी पोमावा द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर को एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुति की गई कि अपीलार्थी श्रीमती खेतुदेवी पत्नी श्री वजाराम द्वारा मौजा पुराड़ा के खसरा संख्या 630 रकबा 0.15 बीघा पर किस्म नहरी दोयम पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उक्त रिपोर्ट पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 880/2022 दर्ज कर गैर सायला/अपीलाण्ट को ज़रिए सम्मन तलब किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 16.11.2022 को नियत की गई। उक्त सम्मन गैर सायला के पुत्र द्वारा तामील होकर नियत पेशी पर पुत्र श्री भैरूराम गैर सायला की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों के प्रथम पद में स्वीकार भी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2022 तक गैरसायला पक्ष को जवाब हेतु अवसर भी प्रदान किया। आगामी पेशी पर जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गैर सायला/अपीलाण्ट के विरुद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया अर्थात् अपीलाण्ट का यह तर्क सिद्ध नहीं पाया जाता है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया।

यहाँ यह अंकन करना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी द्वारा जैर अपील भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 880/22 में ज़रिए आलोच्य आदेश दिनांक 15.12.2022 के गैर सायला/अपीलाण्ट के विरुद्ध तीन माह के सिविल कारावास की सजा भी नियत की गई। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 857/22 में अपीलाण्ट के विरुद्ध दिनांक 14.04.2022 को बेदखली आदेश पारित कर दिनांक 25.04.2022 को भौतिक रुप से बेदखल किया गया था।

यह उल्लेखनिय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (2) में पुनः अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमणपर अधिकतम तीन माह की अवधि के सिविल कारावास के दण्ड का प्रावधान है। किन्तु उक्त धारा 91 की उपधारा (3) में दण्डाधीन व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने तथा उक्त अवधि तक मुचलके पर रिहा करने का प्रावधान उपबन्धित है। हस्तगत प्रकरण के मूल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 59/2024

उनवान : खेतुदेवी बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा आलोच्य प्रकरण संख्या 880/22 गैर सायला के विरुद्ध दिनांक 05.12.2022 को बेदखली आदेश व जुर्माने के साथ सिविल कारावास बअवधि तीन माह का आदेश पारित करते हुए उसी दिवस अर्थात दिनांक 05.12.2022 को ही थानाधिकारी पु.था. सुमेरपुर को गिरफ्तारी वारण्ट प्रेषित करने की आज्ञा दी गई अर्थात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (3) में विहित अपीलार्थी के अपील प्रस्तुत करने के अधिकार का उपयोग करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/गैर सायल को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। उक्त के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायला/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रदत्त सिविल कारावास बअवधि तीन माह का दण्ड विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 880/22 में दिनांक 05.12.2022 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास बअवधि तीन माह के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)